

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/39/2017

दर्ज दिनांक:-25.05.2017

1. अनीता पता- .....प्रार्थी

बनाम

2. जगगोराम पता- .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भोलासिंह

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हो। वकील वादिया उपस्थित। वकील वादियान उपस्थित होकर दावा को आगे नहीं चलाये जाने का निवेदन किया है। वकील वादिया ने दावा नोट प्रेस कर खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने वादिया के वकील को सुना पत्रावली का अवलोकन किया। वह दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः दावा वादिया नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर